

प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08
(नियम 62 देखें)
स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

		वित्तीय वर्ष														
		तिमाही														
1.	जीएसटीआईएन															
2.	(क)	विधिक नाम	<स्वत:>													
	(ख)	व्यापार नाम	<स्वत:>													
	(ग)	एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													
	(घ)	फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या 02/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (सा.का.नि. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019) का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा ।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी ।
3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है ।
4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।
5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा ।
6. 'शून्य' वरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है

प्ररूप जीएसटी आरईजी-31

[नियम 21क देखें]

संदर्भ सं.

तारीख: <दिन><माह><वर्ष>

सेवा में,

जीएसटीआईएन:

नाम:

पता:

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

- (i) अपने माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;
- (ii) अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में भरे गए बाह्य आपूर्तियाँ का ब्यौरा;
- (iii) अपने आवक आपूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा,
_____ से _____ तक की अवधि से संबंधित;
- (iv) (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला है:

- टिप्पणी 1
- टिप्पणी 2

□ टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर जीएसटीएन द्वारा भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. प्रथम दृष्टया विषंगतियों/अषंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्रीकृत को रद्दीकरण के लिये दायी होगा ।
3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विषंगतियां/अषंगतियां इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः क तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्द कर दिया जाता है।
4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें इस संदेश के अनुबंध में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ उपर्युक्त विषंगति/अषंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है ।
6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप इस अनुबंध में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं दे देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है।

नाम:

पदनाम:

नोट: यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।”.

"प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क

[नियम 41क देखें]

धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुसरण में आईटीसी के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	अंतरक का व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	अंतरिती का व्यापार नाम, यदि कोई हो	

7. अंतरित की जाने वाली आईटीसी के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित आईटीसी की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित आईटीसी की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		

एकीकृत कर		
उपकर		

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. अंतरक से वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट जिसका किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मौजूदा रजिस्ट्रीकरण है।
2. अंतरिती से वह कारबार का स्थान निर्दिष्ट है जिसके लिए नियम 11 के अधीन पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया है।"।

प्रारूप जीएसटीआर-2ख
स्वतः प्रारूपित आईटीसी विवरण

(प्रारूप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर और आईसगेट से प्राप्त आयात डाटा)

वर्ष	
माह	

1.	जीएसटीआईएन											
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम										
2.	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो										
2.	(ग)	सृजित किये जाने की तारीख	दिन/महीना/वर्ष समय HH:MM									

3. आईटीसी का उपलब्ध सारांश
(सभी भागों में राशि रूपये में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर एकीकृत केन्द्रीय राज्य/संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
		3ख सारणी कर (रु.)	कर (रु.)	
क्रेडिट जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3ख के तहत लिया जा सकता है				
भाग क उपलब्ध आईटीसी - प्रारूप जीएसटीआर-3ख के संबंधित शीर्षक में क्रेडिट का दावा किया जा सकता है				
I	अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	4(क)(5)		यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो

								जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेबिट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेबिट नोट्स (संशोधन)							
II	आईएसडी से आंतरिक आपूर्तियां	4(क)(4)					यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(4) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।	
ब्यौरा	आई एस डी--- बीजक							
	आई एस डी--- बीजक (संशोधन)							
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय	3.1(घ)4(क)(3)					इन आपूर्तियों को कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित करना होगा। क्रेडिट को कर का भुगतान करने पर जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।	
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेबिट नोट्स							

	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
IV	माल का आयात	4(क)(1)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा।
ब्यौरा	आईएमपीजी-विदेश से माल का आयात							
	आईएमपीजी -(संशोधन)							
	आईएमपीजीएसईजैड-विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) से माल का आयात							
	आईएमपीजीएसईजैड -(संशोधन)							
भाग ख आईटीसी की वापसी- क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख के प्रासंगिक शीर्षक में वापस करना होगा।								
I	अन्य	4(ख)(2)						यदि यह धनात्मक (positive) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकता है वशर्ते कि पहले की ऐसी स्थिति में इसको वापस कर दिया गया हो।
ब्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

(सभी खण्डों में राशि रु. में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर 3ख सारणी	एकीकृत केन्द्रीय कर (रु.) कर (रु.)	राज्य/ संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श	
क्रेडिट जिसे जीएसटीआर-3ख के तहत नहीं लिया जा सकता है							
भाग क आईटीसी उपलब्ध नहीं							
I	अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों		लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक						
	बी2बी-डेविट नोट्स						
	बी2बी- बीजक (संशोधन)						
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)						
II	आईएसडी से आवक प्रदाय		लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	आईएसडी--- बीजक						
	आईएसडी---संशोधन-- बीजक						
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय		3.1(घ)				कर भुगतान के लिए इन आपूर्तियों की घोषणा जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। यद्यपि, उस पर क्रेडिट नहीं होगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक						

	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
भाग ख	आईटीसी की वापसी							
I	अन्य	4(ख)(2)						क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस किया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

निर्देश:

1. प्रयुक्त शब्दावली-

- क. आईटीसी – इनपुट टैक्स क्रेडिट
- ख. बी2बी – बिजनेस टू बिजनेस
- ग. आईएसडी – इनपुट्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
- घ. आईएमपीजी – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
- ङ. आईएमपीजीएसईजैड – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोम एसईजैड

2. महत्वपूर्ण सलाह:

क) प्ररूप जीएसटीआर -2ख एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले प्ररूप जीएसटीआर -2ख में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो प्ररूप जीएसटीआर -2B का प्रयोग प्ररूप जीएसटीआर -3B में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें। हालांकि, अतिरिक्त ब्यौरे की स्थिति में, वे संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -2क (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक ब्यौरों के लिए देख सकते हैं।

ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगा:-

i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है।

ii. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में।

हालांकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आंकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में वापस कर देना चाहिए।

3. यह देखा जाना चाहिये कि प्ररूप जीएसटीआर -2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1S, 5S और 6S, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे सीजीएसटी नियम में उल्लिखित है और ऑनलाइन पोर्टल पर “सलाह देखें” के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ फरवरी माह के जीएसटीआर-2ख में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00:00 बजे से लेकर 11 मार्च के 23:59 बजे तक का होगा।

4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल होंगे।

5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का ब्यौरा इस विवरण में शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3 ख के सारणी 4(क)(2) में दर्शाया जाता रहेगा।

6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है।

क. भाग क में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।

ख. भाग ख में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में वापस किया जाना है।

7. सारणी 4 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक प्राप्त न किया गया हो। इस सारणी में उपलब्ध क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। परंतु रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने का दायित्व और क्रेडिट नोट्स की प्राप्ति पर क्रेडिट को वापस करने का दायित्व ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर बना रहेगा।

8. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित रखें कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न किया गया डाटा उनके रिकॉर्ड और बही खाते से मेल खाता हो। करदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि-

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर क्रेडिट दोबारा न लें।

ख. जहां भी जरूरी हो वहाँ क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

ग. रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान अवश्य किया जाए।

9. बीजक, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, आईएसडी बीजक, आईएसडी क्रेडिट और डेबिट नोट्स, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और इसको डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी होगी।

10. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां कर की लागू दर का प्रतिशत भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहां बीजक/दस्तावेजों में एक अलग से कॉलम की व्यवस्था होगी।

11. सारणीवार निर्देश

सारणी सं. तथा शीर्षक

निर्देश

<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, बी2बी, बीजक और डेविट नोट्स में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड II आईएसडी से आवक प्रदाय</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, आईएसडी संशोधन-बीजक में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है, जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। कर के भुगतान पर क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड IV माल का आयात</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में आपके द्वारा भुगतान किये गये उस आईजीएसटी का ब्यौरा होता है जो कि विदेश या एसईजैड इकाईयों/डेवलपर्स से किये गये माल के आयात पर बिल ऑफ एन्ट्री और उसके संशोधन में किया गया हो। इस ब्यौरा को आइसगेट सिस्टम से निकटतम वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता रहता है। ii. इस सारणी में उन आयात से संबंधित डाटा होंगे जो कि आप (जीएसटीआईएन) के द्वारा उस महीने में किया गया हो जिस महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर -2ख को तैयार किया जा रहा हो। iii. आइसगेट की संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का पात्र बनता है। iv. इस सारणी में यह भी बताया गया है कि किन बिल ऑफ एन्ट्री में संशोधन हुआ है। v. यह जानकारी आइसगेट से प्राप्त डाटा के आधार पर सारणी में दी जाती है। कोरियर आयात जैसे कतिपय आयातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है।
<p>सारणी 3, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में प्राप्त क्रेडिट नोट्स और उसके संशोधन का ब्यौरा होता है जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई होती है और उसको उसने अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में किया होता है। ii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा। यदि यह मूल्य ऋणात्मक है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकेगा बशर्ते कि उसको पहले किसी स्थिति में वापस कर दिया गया हो।
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।

	<p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड II आईएसडी की आवक प्रदाय</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होता है जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी होती हैं, जिनकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता के द्वारा की गई होती है और उसने उसे अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया होता है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। बहरहाल ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी।</p>
<p>सारणी 4, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर क्रेडिट नोट की पावती एवं संशोधन हो और जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 एवं 5 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा।</p>

“प्ररुप जी एस टी आर-9

(नियम 80 देखें)

वार्षिक विवरणी

पीटी. I						
मूल ब्यौरे						
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटी..II						
वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे						
(सभी सारणियों में रकम रुपये में)						
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल में जो संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त)					

	(क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
ञ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					

5

ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई करसंदेय नहीं है

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)				
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय				
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है				
घ	छूट-प्राप्त				
ड.	शून्य रेटेड				

च	गैर – जी एस टी प्रदाय (जिसके अंतर्गत 'कोई प्रदाय नहीं' भी है)				
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)				
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)				
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)				
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय				
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय				
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)				
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ठ)				
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)				

पीटी. III

वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/संसघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6

वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे

क	प्ररूप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररूप जी एस टी आर – 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	निवेश				

	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश				
		पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)					
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय					
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)					
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)					
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)					
ट	टी आर ए एन- I के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)					
ठ	टी आर ए एन- II के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय					
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी					
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)					
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)					

7	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी के और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे			
----------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन – I प्रत्यय का उलटाव				
छ	टीआर ए एन – II प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपर्युक्त क से ज का जोड़)				
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी			
----------	--------------------------------	--	--	--

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायीं आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			

झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च + ञ)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में संदत्त कर के ब्यौरे				
	आई टी सी के माध्यम से संदत्त				

9	विवरण	संदेय कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					

11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

- क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
 ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट
 ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख भरना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।

3. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-2018/2017-2018 के दौरान गैरदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का करदाता दावा नहीं कर सकता।

4. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है। यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटी आर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इनमें ई-वाणिज्यक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्रासिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्रासिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।

4ट और 4उ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5घ, 5ड और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा। "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

5. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा।

6ख.	<p>सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।</p> <p>जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।</p>
6ग.	<p>अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6घ.	<p>रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6ङ.	<p>मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौर, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6च.	<p>सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6छ.	<p>इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6ज.	<p>अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।</p>
6झ.	<p>प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी। आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए।</p>
6ट.	<p>प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी।</p>
6ठ.	<p>प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी।</p>

6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा। यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ में वर्णित रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित नहीं किया गया तो प्ररूप जीएसटी आर-9 की सारणी 7ड में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4घ में उल्लिखित रकम प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित है तो प्रविष्टि प्ररूप जीएसटी आर-09 की 7ड में आएगी।
8क.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित और प्ररूप जीएसटी आर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा। यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।
8घ	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटी आर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। तथापि, जहां ऐसी परिस्थितियां हों कि प्ररूप जीएसटीआर-2क में उपलब्ध प्रत्यय से प्ररूप जीएसटी आर-3ख में उपभुक्त प्रत्यय अधिक था तो ऐसे मामलों में पंक्ति 8घ में मूल्य नकारात्मक होगा।
8ङ और 8च.	प्रत्यय जो उपलब्ध था और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग नहीं किया गया और प्ररूप जीएसटीआर-3ख वह उपभोग किए जाने के लिए वह पात्र नहीं था को यहां घोषित किया जाएगा। आदर्श रूप से, यदि 8घ धनात्मक है तो 8ड और 8च का जोड़ 8घ के बराबर होगा।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
8ज.	सारणी 6ड में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी।

6. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

7. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा पूर्व वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाईल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाईल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाईल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई आईटीसी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था परंतु वित्तीय 2018-19 में उसका पुनः दावा किया गया, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।

8. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं। भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है। इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी। उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए। यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है। यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है। माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं। मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है। सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा। यह नोट किया जाए कि इसके संक्षिप्त ब्यौरे केवल उन आवक प्रदायों के लिए घोषित किए जाएं जिनका मूल्य आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

9. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से इस रूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएं।

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क

(नियम 80 देखिए)

वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)

भाग. I							
आधारिक ब्यौरे							
1	वित्तीय वर्ष						
	जीएसटीआईएन						
	3क विधिक नाम	<स्व>					
	3ख व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
	4 वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि						
5 पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त							
(सभी सारणियों में रुप में रकम)							
भाग. II							
वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे							
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं						
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	

क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे					
9	वर्णन	कुल संदेय कर	संदत्त			
	1	2	3			
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस					
	शास्ति					
भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

	1	2	3	4	5	6		
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)							
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)							
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)							
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)							
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर							
	वर्णन				संदेय	संदत्त		
	1				2	3		
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							

ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							
16	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे							
	वर्णन			केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	
	1			2	3	4	5	
क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)							
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)							
17	संदेय और संदत्त विलंब फीस							
	वर्णन			संदेय		संदत्त		

	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

स्थान :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-4 फाइल करना आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयवधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।
3. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है।

4. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

5. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्हीं प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे।

6. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा। इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

7. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

“प्ररूप जीएसटीआर-9ग

नियम 80(3) देखें

भाग क—समाधान विवरण

भाग. I		मूलभूत ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष		
2	जीएसटीआईएन		
3क	विधिक नाम	< स्व >	
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	< स्व >	
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ?		<<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>
		(सभी सारणियों में रकम रूप में)	
भाग. II		वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान	
5	सकल आवर्त का समाधान		
क	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)		
ख	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)	
ग	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)	
घ	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	
ड	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)	
च	व्यापार बट्टा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)	
छ	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)	
ज	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)	
झ	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)	

ज	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)	
ट	एसईजेड यूनियों द्वारा डीटीए यूनियों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)	
ठ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)	
ड	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(+/-)	
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त		<स्व>
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)		एटी1
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण 1		<<पाठ>>
ख	कारण 2		<<पाठ>>
ग	कारण 3		<<पाठ>>
7	कराधेय आवर्त का समाधान		
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)		<स्व>
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य		
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय		
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राधिकर्ता द्वारा किया जाना है		
ङ	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क – ख – ग – घ)		<स्व>
च	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त		
छ	असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ङ)		एटी 2
8	कराधेय आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण 1		<<पाठ>>
ख	कारण 2		<<पाठ>>
ग	कारण 3		<<पाठ>>
भाग. III	संदत्त कर का समाधान		
9	दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान		

	संदेय कर					
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
क	5%					
ख	5% (आरसी)					
ग	12%					
घ	12% (आरसी)					
ङ	18%					
च	18% (आरसी)					
छ	28%					
ज	28% (आरसी)					
झ	3%					
ञ	0.25%					
ट	0.10%					
ठ	ब्याज					
ड	विलम्ब शुल्क					
ढ	शास्ति					
ण	अन्य					
त	उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		<स्व>	<स्व>	<स्व>	<स्व>
थ	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
द	रकम का असमाधानकृत संदाय (पीटी 1)					
10	रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
क	कारण 1		<<पाठ>>			
ख	कारण 2		<<पाठ>>			
ग	कारण 3		<<पाठ>>			
11	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)					

		नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए			
वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
5%					
12%					
18%					
28%					
3%					
0.25%					
0.10%					
ब्याज					
विलम्ब शुल्क					
शास्ति					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					
भाग. IV	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान				
12	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान				
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)				
ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)			(+)	
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)			(-)	
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर				<स्व>
ड	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय				
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)				आईटीसी 1
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण				
क	कारण 1	<<पाठ>>			

ख	कारण 2	<<पाठ>>		
ग	कारण 3	<<पाठ>>		
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान			
	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम
	1	2	3	4
क	क्रय			
ख	भाड़ा/दुलाई			
ग	ऊर्जा और ईंधन			
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)			
ङ	किराया और बीमा			
च	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल			
छ	स्वामिस्व			
ज	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।)			
झ	प्रवहण प्रभार			
ञ	बैंक प्रभार			
ट	मनोरंजन प्रभार			
ठ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)			
ड	मरम्मत और अनुरक्षण			
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय			
ण	पूंजी माल			
त	कोई अन्य व्यय 1			

थ द ध न	कोई अन्य व्यय 2					
	उपभुक्त पात्र आईटीसी की कुल रकम				<<स्व>>	
	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी					
	असमाधानकृत (आईटीसी 2)					
15	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण					
क ख ग	कारण 1				<<पाठ>>	
	कारण 2				<<पाठ>>	
	कारण 3				<<पाठ>>	
16	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से)					
	वर्णन	संदेय रकम				
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	एकीकृत कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	शास्ति					
भाग. V	गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश					
	नकदी के माध्यम से संदेय					
	वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					

इनपुट कर प्रत्यय					
ब्याज					
विलम्ब शुल्क					
शास्ति					
वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए संदत्त कोई अन्य रकम					
वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					
परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

रजिस्ट्रकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि संपरीक्षा द्वारा तैयार और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण में अपलोड कर रहा हूँ और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अन्य विवरण, यथालाभ, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण, लेखा लाभ और हानि और तुलनपत्र आदि भी हैं, भी अपलोड कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

पदनाम/प्रास्थिती

स्थान:

तारीख:

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए निबंधन :
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-01, प्ररूप जीएसटीआर-3ख और प्ररूप जीएसटीआर-9 भरने आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।
4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

सारणी सं0 अनुदेश

- 5क वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है। यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा। यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है।
- 5ख ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
- (उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय किया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा)।
- 5ग ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा।

- 5घ. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है।
- 5ङ. चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5च. व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी।
- 5छ. अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ज. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5झ. सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ञ. प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ट. एसईजेड द्वारा डीटीए यूनियों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनियों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ठ. ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं। वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा। इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ड. ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है। इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा।

- 5ढ. विदेशी विनिमय घटबढ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5ण. ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा।
- 5थ. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा।
6. वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
7. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है।
- 7क. सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी।
- 7ख. छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
- 7ग. शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
- 7घ. विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
- 7ङ. कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है।
- 7च. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी (4ढ-4छ)+(10-11) में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा।
8. समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप में चिह्नित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा।

12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा।
12ड.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ड) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
14घ.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी। वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12घ में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंतः में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

8. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "समाधान विवरण" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

1. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने--

(क) को तुलन-पत्र की ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;

(ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है ।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति--

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

.....

.....

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृत होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन उक्त प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारित का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क) को तुलन-पत्र ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;

(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्ष उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता

10. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज		
(क) एकीकृत कर के मद्दे		
(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे		
(घ) उपकर के मद्दे		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख- दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं :-

- (i) इनपुट सेवा वितरक;
 - (ii) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति;
 - (iii) अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
 - (iv) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और
 - (v) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।
2. इनपुट, अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक के और ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी के, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, स्टॉक के ब्यौरे।
3. क्रम सं0 8 में के स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
- (i) जहां स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मॉल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;
 - (ii) ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी की दशा में मूल्य पांच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तारीख से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा ।
4. सारणी के क्रम संख्या 8 (प्रविष्टि 8(घ) के सामने) पर नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे । प्रमाणपत्र की प्रति को ब्यौरे फाइल करते समय अपलोड किया जाएगा।";

“प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए आवेदन

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

मैं, नीचे उल्लिखित कारण(कारणों) से जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए अनुरोध करता हूँ ।

- 1.
- 2.
- 3.

घोषणा

उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं यह वचनबंध करता हूँ कि मैं ऐसे रद्दकरण से पहले जीएसटी व्यवसायी के रूप में अपने कार्यों के लिए दायी बना रहूंगा ।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

“प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण का आदेश

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. आवेदन की तारीख और सं.	
5. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

घोषणा

यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन.....से रद्द किया जाता है ।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख : ”.

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09

[नियम 87(13 देखिए)]

इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण

1.	जीएसटीआईएन	
2.	(क) विधिक नाम	<स्वतः>
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो	<स्वतः>
3.	एआरएन	
4.	एआरएन की तारीख	

5. एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

निम्नलिखित से अंतरित की जाने वाली रकम			निम्नलिखित में अंतरित की जाने वाली रकम		
मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपलब्ध रकम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	अंतरित रकम
1	2	3	4	5	6
<केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर>	कर		<केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर>	कर	
	ब्याज			ब्याज	
	शास्ति			शास्ति	
	फीस			फीस	
	अन्य			अन्य	
	योग			योग	

6. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश -

1. मुख्य शीर्ष-एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर और उपकर के प्रति निर्देश है।
2. लघु शीर्ष-कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है।
3. यदि रकम एक मुख्य/लघु शीर्ष से किसी अन्य मुख्य/लघु शीर्ष में अंतरित की जानी आशयित है तो इस प्ररूप को भरें। रकम के अंतरण के लिए लघु शीर्ष वैसा ही या भिन्न हो सकता है।
4. एक लघु शीर्ष से रकम को उसी मुख्य शीर्ष के अधीन किसी अन्य लघु शीर्ष में भी अंतरित किया जा सकता है।

5. शीर्षक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीर्षक के अधीन अतिशेष उपलब्ध है।

" प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03क

[देखें नियम 86(4ख)]

इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में राशि का पुनः क्रेडिट करने का आदेश

संदर्भ संख्या:

तारीख:

1. जीएसटीएन-
2. नाम (विधिक) -
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4. पता -
5. खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था - नकद/ प्रत्यय खाता
6. विकलन प्रविष्टि सं. और तारीख -
7. भुगतान संदर्भ संख्या (डीआरसी 03):..... तारीख.....
8. भुगतान का विवरण:-

भुगतान का कारण	(अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय या आईजीएसटी के गलत प्रतिदाय की राशि के लिए जमा)
प्रतिदाय मंजूरी आदेश का विवरण	<ol style="list-style-type: none">1. शिपिंग बिल/ निर्यात बिल संख्या और तारीख2. माल के निर्यात पर भुगतान की गई आईजीएसटी की राशि3. छूट/रियायती दर अधिसूचना का विवरण आदानों की खरीद4. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि5. बैंक खाते में धनवापसी जमा करने की तारीख
	(या) <ol style="list-style-type: none">1. प्रतिदाय की श्रेणी और प्रतिदाय की सुसंगत अवधि2. जीएसटी आरएफडी-01/01ए एआरएन और तारीख -

		3. जीएसटी आरएफडी -06 आदेश संख्या और तारीख					
		4. दावा की गई प्रतिदाय की राशि					
		5. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि					
10. पुनः क्रेडिट करने के आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई -							
11. क्रेडिट राशि -							
क्र.सं.	अधिनियम (केंद्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर/एकीकृत कर/कम)	क्रेडिट की राशि (रु.)					
		कर	ब्याज	दंड	शुल्क	अन्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
हस्ताक्षर नाम अधिकारी का पदनाम							
टिप्पण: 'केंद्रीय कर' का अर्थ केंद्रीय माल और सेवा कर है; 'राज्य कर' का अर्थ राज्य माल और सेवा कर है; 'संघराज्यक्षेत्र कर' का अर्थ संघराज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है; 'एकीकृत कर' का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर और 'उपकर' का अर्थ है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)";							

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01क

[नियम 89(1) और 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मास >		से <वर्ष/मास >				
6.	दावा किया गया प्रतिदाय की (रु0) :	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर संघ						
		राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
	कुल							
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :					
		(ख)	माल/सेवाओं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बगैर (संचित आईटीसी)					
		(घ)	विपर्यस्त कर संरचना के प्रति देय संचित आईटीसी [धारा 54(3)] के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन					

	(इ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय सहित)					
	(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय बगैर)					
	(छ)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता					
	(ज)	आदेश के मद्दे					
		क्रम सं०	आदेश का प्रकार	आदेश सं०	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय निर्देश सं० यदि कोई हो
		(i)	निर्धारण				
		(ii)	अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
		(iii)	अपील				
		(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				

	(झ)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे पश्चात्कर्ती अंतरराज्य प्रदाय निर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)							
	(ञ)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो।							
	(ट)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							

[घोषणा धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैंने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

[घोषणा [धारा 54(3)(ii)]]

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इन्पुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रूप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूँ / देती हूँ यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]

मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.....है, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज यासे तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रू में रकम)

माल और सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रदाय रकम $[(1 \times 4 \div 3) - 2]$
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं..	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारी ख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारी ख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /बी 2 सी)	एकी कृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयगतों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी /एफ आई आर सी		नामनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मदे (कर के संदाय पर)

(रकम ₹0 में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	बीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष /विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामोनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	करादेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मदे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम ₹0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतरराज्यिक और विपर्ययेन)

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो:

आदेश सं०:

आदेश तारीख:

विवरण:7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रकम रु में)

कर अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख
[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]
प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन																							
2.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी																							
3.	विधिक नाम																							
4.	फाइल किए जाने की तारीख																							
5.	प्रतिदाय का कारण																							
6.	वित्तीय वर्ष																							
7.	मास																							
8.	आदेश सं.:																							
9.	आदेश को जारी किए जाने की तारीख :																							
10.	पेमेंट एडवाइस की सं. :																							
11.	पेमेंट एडवाइस की तारीख :																							
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :	ड्राप डाउन : करदाता / उपभोक्ता कल्याण निधि																						
13.	के द्वारा जारी :																							
14.	टिप्पणी :																							
15.	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन : आरएफडी - 04/ 06/ 07 (भाग क)																						
16.	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार):																							
विवरण	एकीकृत कर					केन्द्रीय कर					राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					उपकर								
	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग
क. दावा की गई प्रतिदाय राशि																								
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय																								

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू
[नियम 90(5) देखिए]
प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन

1. एआरएन :
2. माल और सेवा कर पहचान सं. :
3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :
 - i प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है
 - ii प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है
 - iii प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं
 - iv अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. मैं/हम (आयकरदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

प्रास्थिति : ” ।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 ख

[नियम95 क देखें]

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन:
2. नाम:
3. पता:
4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ष>
5. दावाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में>
6. प्राप्त मालों के आवक प्रदायों और तत्स्थानी जावक प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे				
आवक प्रदाय				तत्स्थानी जावक प्रदाय
बीजक के ब्यौरे	दर		कर की रकम	बीजक के ब्यौरे

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	मूल्य		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उप कर	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	कराधेय मूल्य
------------------------------	----------------	---------------	--------	-------	--	-----------------	--------------	-----------------	-------------------------------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------------

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है :

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उप कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

- i. बैंक खाता संख्या
- ii. बैंक खाता प्रकार
- iii. बैंक का नाम
- iv. खाता धारक/संचालक का नाम
- v. बैंक शाखा का पता

vi. आईएफएससी

vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं _____, _____ (शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान-खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि,-

- (i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है ।
(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान: नाम:
पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश:

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा ।
2. एक आवक प्रदाय बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा । इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से प्रदाय किए गए हैं ।
3. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।
4. प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

(क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, **शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है;**

(ख) यह परिवचन कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;

(ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति ।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11

[नियम 96क देखें]

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

1. जीएसटीआईएन					
2. नाम					
3. दिए गए दस्तावेज का प्रकार उपदर्शित करें					
		बंधपत्र	<input type="checkbox"/>	परिवचन पत्र	<input type="checkbox"/>
4. दिए गए बंधपत्र का ब्यौरा					
क्रम सं०	बैंक गारंटी की संदर्भ संख्या	तारीख	रकम	बैंक का नाम और शाखा	
1	2	3	4	5	

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. घोषणा-

- (i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं
- (ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूं। मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
- (iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र

(नियम 96क देखें)

मैं/हम.....इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति.....रु0की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूँ/हैं।

इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूँ/करते हैं/तारीख.....को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.....रूप रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ;

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे ।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता

व्यवसाय

(2) नाम और पता

व्यवसाय

मैं आज,तारीख.....(मास)(वर्ष) को (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01

[नियम 109ख देखें]

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में,

.....
.....
.....

जीएसटीआईएन:.....

आदेश सं0—

तारीख

धारा 108 के अधीन नोटिस

जहां अधोहस्ताक्षरी के नोटिस में यह आया है कि (अधिकारी का पदनाम).....द्वारा इस अधिनियम/ राज्य का नाम.....<<माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश जहां तक यह राजस्व के हित में प्रतिकूल है, त्रुटिपूर्ण है और अवैध है या आयुक्ति युक्त है अथवा इसमें कतिपय सारवान तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसलिए मैं इसके साथ संलग्न दस्तावेज में विनिर्दिष्ट आधारों पर धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण में एक आदेश पारित करने का आशय करता हूं।

आपको इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया जाता है।



आपको तारीख.....समय.....पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो इस मामले को उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय विनिश्चित किया जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख

पदनाम:

अधिकारिता/कार्यालय—।"

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -01

(नियम 138 देखें)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

तारीख, जिससे विधिमान्य है :

तारीख, जिस तक विधिमान्य है :

भाग-क		
क. 1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 2	प्रेषण का स्थान	
क. 3	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 4	परिदान का स्थान	
क. 5	दस्तावेज संख्यांक	
क. 6	दस्तावेज की तारीख	
क. 7	माल का मूल्य	
क. 8	एचएसएन कोड	

क. 9	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख. 1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख. 2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक/रक्षा यान संख्यांक/अस्थायी यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/नेपाल या भूटान यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

टिप्पणः

- क. 8 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।
- दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।
- परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।
- परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।
- प्रेषण का स्थान, प्रेषण के स्थान में पिन कोड दर्शित करेगा ।
- जहां प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब, यथास्थिति, स्तंभ क.1 या स्तंभ क.3 में “यूआरपी” शब्द भरे जाएंगे ।
- परिवहन के लिए कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	विवरण
1	प्रदाय

- 2 निर्यात या आयात
 - 3 छुट-पुट कार्य
 - 4 एसकेडी या सीकेडी
 - 5 प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
 - 6 लाइन सेल्स
 - 7 विक्रय की विवरणी
 - 8 प्रदर्शनी या मेले
 - 9 स्वयं के उपयोग के लिए
 - 0 अन्य
-

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -02

(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिलों की संख्या		
ई-वे बिल सं.		

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -03

(नियम 138ग देखें)

सत्यापन रिपोर्ट

भाग क	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की तारीख	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की संख्या	
यान के प्रभारी व्यक्ति का नाम	
माल का वर्णन	
घोषित माल की मात्रा	
घोषित माल का मूल्य	

फर्क का संक्षिप्त वर्णन	
क्या माल निरूद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान निर्मुक्त की तारीख और समय	
भाग ख	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	

उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	
निष्कर्ष के सारांश	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04

(नियम 138घ देखें)

निरूद्ध की रिपोर्ट

ई-वे बिल संख्या	
निरूद्ध की अनुमानित स्थिति	
निरूद्ध की अवधि	
प्रभारी अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हो)
तारीख	
समय	

“प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-05

[नियम 138डू देखें]

ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन	<स्वतः>
2	विधिक नाम	<स्वतः>
3	व्यापार का नाम	<स्वतः>
4	पता	<स्वतः>

5	प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग का 'क' में सूचना देने की सुविधा (अर्थात् ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख.....अनिरुद्ध की जाती है	<स्वतः>
6	ई-वेबिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के कारण	<उपयोक्ता इनपुट>
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
7	व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशित तारीख	<उपयोक्ता इनपुट>

8. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

नाम/पदनाम/प्रास्थिति

तारीख:

स्थान:

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-06

[नियम 138ड देखें]

संदर्भ सं०.:

तारीख:

सेवा में

_____ जीएसटीआईएन

----- नाम

_____ पता

ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनिर्द्ध करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश

एआरएन आवेदन:

तारीख:

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा निर्द्ध की गई थी।

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं आवेदन स्वीकार करता हूं और निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिर्द्ध करने का आदेश करता हूं :

1.

2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के पश्चात् ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिर्मुक्त करने का आवेदन नामंजूर करता हूँ:

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

पता:

टिप्पण: विस्तृत आदेश/कारण(कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।"।

“प्ररूप जीएसटी -डीआरसी- 01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना

[नियम 142 (1क) देखें]

भाग क

सं.:

तारीख:

मामला आईडी सं.

सेवा में,

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

पता.....

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित

कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73 (5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर /ब्याज /शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

अधिनियम	अवधि	कर			
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					

कुल					
-----	--	--	--	--	--

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

--

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चय के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख मेंतक प्रस्तुत किया जाए।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

सं:

तारीख:

सेवा में,
उचित अधिकारी,
शाखा(विंग)/क्षेत्राधिकार ।

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन सूचित दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन – से संबंधित

कृपया मामला आईडी के संबंध में **संसूचना** आईडी.....का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा 73(5) / 74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था ।
इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को..... रुपए के विस्तार तक.....
..... के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया /संलग्न है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

पता.....

संलग्नक अपलोड करें”।

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 07क

[नियम 142क(1) देखें]

विद्यमान विधियों के अधीन आदेश का सारांश

निर्देश सं.

तारीख -

भाग 1 - बुनियादी विवरण		
क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	<<स्वतः>>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="checkbox"/> केंद्र
5.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	
6.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	
7.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	
8.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	मास, वर्ष से मास, वर्ष तक
9.	आदेश सं. (मूल)	
10.	आदेश तारीख (मूल)	
11.	नवीनतम आदेश सं.	
12.	नवीनतम आदेश तारीख	
13.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	
14.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	

15.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	
16.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
17.	रोक आदेश की तारीख	
18.	रोक की अवधि	से - तक

भाग ख – मांग का विवरण						
19.	सृजित की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में)					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

20.	विद्यमान विधि के अधीन संदाय की गई मांग की रकम					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

21. (19-20)	प्रस्तावित की गई मांग की अतिशेष रकम जीएसटी विधि के अधीन वसूल की जाएगी << ऑटो -पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

-----नाम

_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण –

1. विवरणी, में घोषित की गई कर के संक्षिप्त संदाय सम्बन्धी मांग के मामले में अभिविनिश्चय/विवरण का निर्देश सं. उल्लेख किया जाएगा।
2. केवल वसूल की गई मांग को जीएसटी विधि के अधीन वसूली के लिए पोस्ट किया जाएगा। एक बार **डीआरसी-07क** के माध्यम से मांग सूजित की जाती है और तत्पश्चात् मांग की प्रास्थिति में परिवर्तन किया जाता है, प्रास्थिति में **डीआरसी-08क** के माध्यम से संशोधन किया जाएगा।

3. आदेश के सारांश को अपलोड करने की तारीख तक संदेय की गई मांग का केवल सारणी 20 में उल्लेख किया जाएगा। विद्यमान विधियों के अधीन दायित्व के विभिन्न शीर्षों को केन्द्रीय अथवा राज्य कर के अधीन परिभाषित की गई शीर्षों के साथ-साथ रखा जाना चाहिए।
4. नवीनतम आदेश सं. से विशिष्ट मांग के लिए सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पारित पिछला आदेश अभिप्रेत है।
5. आदेश की प्रति, जिसमें मांग सृजित की गई है, संलग्न की जा सकती है। संदेय कर के समर्थन में दस्तावेज को भी अपलोड किया जा सकता है. यदि उपलब्ध हो।”।

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08क

[नियम 142क(2) देखें]

विद्यमान विधियों के अधीन सृजित किए गए सारांश का संशोधन/उपांतरण

निर्देश सं.

तारीख -

भाग क - बुनियादी ब्यौरे

क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	<<स्वतः>>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	निर्देश संख्या, जिसके द्वारा मांग को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया	
5.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क की तारीख, जिसके द्वारा मांग को अपलोड किया गया	
6.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्य क्षेत्र <input type="checkbox"/> केन्द्र <<स्वतः>>
7.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	<< स्वतः, संपादन योग्य>>
8.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
9.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
10.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
11.	आदेश सं. (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>

12.	आदेश तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
13.	नवीनतम आदेश सं.	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
14.	नवीनतम आदेश तारीख	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
15.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
16.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
17.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदाभिमान	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
18.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
19.	रोक आदेश की तारीख	
20.	रोक की अवधि	
21.	अद्यतन के लिए कारण	<<पाठ पेटी>>

भाग ख – मांग के ब्यौरे						
22.	जीएसटी डीआरसी-07क की सारणी 21 के माध्यम से मूल रूप में पोस्ट की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में) <<स्वतः>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम						

23.		मांग का अद्यतन					
अधिनियम	अद्यतन का प्रकार	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मांग का रद्द किया जाना (मांग की पूर्ण रूप से समापन)						
2.	छूट की रकम, यदि कोई हो						
3.	कुल छूट (1+2)						

24. (22-23)		अपेक्षित मांग की अतिशेष रकम को जीएसटी विधि के अधीन वसूली की जाएगी << ऑटो -पॉपुलेटेड >>				
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

..... नाम

_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण -

1. कटौती में विद्यमान अधिनियम के अधीन किए गए भुगतान सम्मिलित हैं। यदि कर की मांग में वृद्धि की जानी है तो प्ररूप डीआरसी-07 क के अधीन एक नई मांग की जा सकती है।
2. आदेश की प्रति, जिसकी मांग उपांतरित/परिशोधित/पुनरीक्षित/अद्यतन/अपडेट की गई है, अपलोड की जा सकती है। भुगतान दस्तावेज को भी संलग्न किया जा सकता है।
3. जीएसटी विधि के अधीन वसूल की गई रकम, जिसके अन्तर्गत दावा किए गए धनवापसी के दावे को समायोजन सहित देयता के रूप में दायित्व रजिस्टर में स्वतः अद्यतन किया जाएगा। इस तरह की वसूली के लिए इस प्ररूप में फाइल नहीं किया जाएगा।”।

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए”

[नियम 159 (5) देखे]

तारीख :

संदर्भ संख्या

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....(अधिकारिता)

संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

एआरएन संख्या.....द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है।

संदर्भ पहचान संख्या	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या
अनंतिम रूप से कुर्क यान	यान के ब्यौरे
कोई अन्य संपत्ति	ब्यौरे

2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरा आक्षेप प्रस्तुत करता हूं।

<<..... >>

<<..अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

नाम-

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) –

चैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलों में) –

स्थान –

तारीख –

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर” ।